भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1892

दिनांक 04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रोग निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करना

1892 श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रोग निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): सरकार ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के तहत देश में रोग निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में निगरानी अवसंरचना, प्रयोगशाला नेटवर्क, घटना-आधारित निगरानी, प्रकोप जांच और प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करना, निगरानी कर्मियों की क्षमता निर्माण, तथा लगभग वास्तविक समय में रोग निगरानी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। उठाए गए कदमों और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

रोग निगरानी प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

i. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी इकाइयों के माध्यम से लागू किया जाता है। यह कार्यक्रम 50 से अधिक महामारी-प्रवण रोगों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। आईडीएसपी-एकीकृत रोग निगरानी मंच (आईएचआईपी) रिपोर्ट किए गए मामलों के भू-टैगिंग, भू-स्थानिक विश्लेषण और हीट मैप-आधारित दृश्यांकन को सक्षम करता है, जिससे रोग प्रकोप का शीघ्र पता लगाने और निगरानी करने में सहायता मिलती है।

ii. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत 17 महानगरीय निगरानी इकाइयाँ (एमएसयू) स्थापित की गई हैं और वे कार्यशील में हैं।

iii. आईडीएसपी के तहत संदिग्ध प्रकोपों की समय पर प्रयोगशाला पुष्टि के लिए जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (डीपीएचएल) और राज्य रेफरल प्रयोगशालाओं (एसआरएल) के नामांकन के माध्यम से आईडीएसपी प्रयोगशाला क्षमता को सुदृढ़ किया गया है। राज्य रेफरल प्रयोगशाला नेटवर्क 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किया गया है, जिसमें 163 अनुमोदित राज्य रेफरल प्रयोगशालाएँ शामिल हैं।

iv. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में आने वाली रिपोर्टों के सत्यापन और मीडिया स्कैनिंग के ज़रिए घटना-आधारित निगरानी को मज़बूत किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम टूल्स का उपयोग प्रारंभिक चेतावनी के संकेतों की पहचान करने और समय पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी कदम उठाने के लिए अलर्ट जारी करने में किया जाता है। इससे प्रशिक्षित 'रैपिड रिस्पॉन्स टीमों' के ज़रिए संभावित रोगों के फैलने का जल्द पता लगाने और उस पर तेज़ी से कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

v. रोगों के फैलने की घटनाओं की समय पर जांच, जोखिम का आकलन और उन्हें प्रभावी ढंग से रोकने में मदद के लिए ज़िला और राज्य स्तर पर मल्टी-डिसिप्लिनरी रैपिड रिस्पॉन्स टीमें (आरआरटी) और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम (एनजॉर्ट) बनाई गई हैं।

vi. रोग निगरानी, प्रकोप का पता लगाने, रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए मेडिकल अधिकारियों, महामारी-विशेषज्ञों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और निगरानी कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

vii. सरकार 'नेशनल वन हेल्थ मिशन' (एनओएचएम) के ज़रिए एकीकृत रोग निगरानी को मज़बूत कर रही है। यह कार्यक्रम 16 मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देता है, जिसमें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग/भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करता हैं।

viii. इंटीग्रेटेड 'वन हेल्थ' सर्विलांस के लिए एक एडवाइज़री और रिव्यू कमिटी भी बनाई गई है, जिसका सचिवालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नेशनल सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल (एनसीडीसी) है। मिशन ने एकीकृत निगरानी को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खतरों का जल्द पता लगाने और उन पर तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता को मज़बूत करने के लिए रोग विशिष्ट, अपशिष्ट जल और जीनोमिक सर्विलांस पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।
